न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 12/15 प्रार्थना–पत्र **निर्णय दिनांक - 27/8/19**

बउनवान

कन्हेयालाल पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड निवसी सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री गिरजानंदन गौत्तम
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा।

प्रार्थना–पत्र वास्ते राजीनामा एवं डिक्री बउनवान मूर्ति मन्दिर मथूरेश जी बनाम गोबरीबाई कायममुकाम कन्हैयालाल मि0 न0 843/98 दिनांक 21.09.2007 की पालना में भेंट राशि जमा कराये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान का एक प्रकरण माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,180, 183 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत जेरकार था। जिसमें दिनांक 21.09.2007 को दोनों पक्षकारों की सहमति से राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। राजीनामा मय आदेश व डिक्री पेश है।

यह कि राजीनामा अनुसार वादी प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि प्रतिवादी को अदा करता रहेगा। और यह राशि प्रतिवर्ष 15 मई तक अदा की जावेगी। जिसकी पावती नियमानुसार जारी की जायेगी। भेंट राशि में 5 वर्ष की अवधि के अंतराल पर 5 प्रतिशत की वृद्वि की जावेगी। उक्त भूमि पर वादी पीढी दर पीढी बहेसियत खातेदार काश्त करते रहेंगे। राजीनामा की मद नबंर 06 के अनुसार वादी भेंट राशि का भुगतान करने में लगातार 02 वर्ष की चूक करता है, तो ऐसी स्थिति में भेंट वसूलने का अधिकार प्रतिवादी को होगा तथा विधिवत बेदखली की कार्यवाही का अधिकार होगा। तथा प्राकृतिक प्रकोप का वर्ष उक्त चूक के 02 वर्षों में गणना नंही की जावेगी।

यह कि वादी राजीनामा डिक्री की पालना में प्रतिवर्ष समयावधि में भेंट राशि जमा करता आ रहा है। जिसमें आज तक किसी प्रकार की चूक नंही हुयी है। वादी वर्ष 2013 की भेंट राशि जमा कराने हेतु माह अप्रेल 2013 से निरन्तर मंदिर समिति के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु मन्दिर समिति द्वारा राशि जमा नंही कर कहा गया कि राशि जमा करने वाले अधिकारी अभी नंही है बाद में आकर जमा कराना इस प्रकार टालमटोल करके भेंट राशि जमा नंही की और समय निकालते रहे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास कोटा (राज०)

यह कि प्रार्थी द्वारा राजीनामा दिनांक 21.09.2007 से लगातार वर्ष 2012 तक भेंट राशि जमा करा दी थी। वर्ष 2013 की भेंट राशि 2750 रूपये 5 प्रतिशत बढाकर कुल 2887.50 रूपये राउण्ड फीगर में कुल 2900 रूपये का डी.डी. क्रमांक 007768 दिनांक 22.07.2013 का बनाकर के प्रार्थना–पत्र के साथ दिनांक 23.07.2013 को प्रतिवादी को प्रेषित किया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया। किन्तु मंदिर समिति के पत्रांक 13/90 दिनांक 05–06.08.2013 से वापिस लौटा दिया जिसमें हवाला दिया गया कि वादी ने राजीनामानुसार दो वर्ष से बिल्कुल भी राशि जमा नंही कराई गई है। जिससे वादी को उक्त भूमि से बेदखली एवं निलामी की कार्यवाही की जावेगी। जो बिल्कुल असत्य है। कयोंकि वादी प्रतिवर्ष भेंट स्वरूप राशि नियत समय में जमा करता आ रहा है, और राजीनामें में संवत् का कहीं भी उल्लेख ही नंही है।
यह कि राजीनामा दिनांक 21.09.2007 हो जाने से वादी को भेंट राशि 15.05.2008 तक जमा करानी थी, जो वादी ने दिनांक 26.12.2007 को ही जमा करा दी थी।

दिनांक 26.12.2007 को राशि 2750 दिनांक 18.08.2009 को राशि 2750 दिनांक 27.04.2010 को राशि 2750 दिनांक 16.11.2011 को राशि 2750 दिनांक 19.03.2012 को राशि 2750 जमा करा दी गई थी।
उक्तानूसार प्रार्थी ने भेंट राशि जमा कराने में कोई चुक नंही की है, और प्रतिवादी द्वारा यह कहना है कि वादी ने दो वर्षों से बिल्कूल भी भेंट राशि जमा नंही कराई हैं जो वास्तव में असत्य आधारों पर निर्धारित है। यह कि वादी का पूरा परिवार उक्त कृषि भूमि की आय पर पूर्ण रूप से आश्रित है। वादी की पुस्तैनी खातेदारी की कृषि आराजी को हडप कर बेदखल करने की नियत से वादी द्वारा प्रस्तुत भेंट राशि का डी.डी. दो बार वापिस लौटा दिया जिससे प्रतिवादी द्वारा राजीनामें का स्पष्ट उल्लंघन का पता चलता है। वर्ष 2013 की भेंट राशि जमा नंही करनास माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है जो विधि विरूद्व है। प्रतिवादी कैसे भी करके 15.05.2014 तक की अवधि निकालना चाहता है जिससे वादी राजीनामें का डिफाल्डर हो जावे जो न्याय के विरूद्व है।
प्रार्थी द्वारा पुनः निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी को वर्ष 2013 व आगे के वर्षों की भी भेंट स्वरूप राशि प्रतिवर्ष जमा किए जाने के आदेश फरमावें विकल्प में माननीय न्यायालय में जमा करवाई जावे।
प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया , अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुये। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई, प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि राजीनामा डिक्री होकर फैसल हुआ। राजीनामा अनुसार प्रतिवर्ष 200/– प्रति बीघा की दर से भेंट स्वरूप राशि जमा कराने के आदेश 15 मई तक अदा करने एवं पांच वर्ष की अवधि के अन्तराल में 5 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी। प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि हम समय–समय पर 200/– प्रतिबीघा मुताबिक राजीनामा जमा करा रहे हमारे द्वारा दिनांक दिनांक 26.12.2007 को राशि 2750 दिनांक 18.08.2009 को राशि 2750 दिनांक 27.04.2010 को राशि 2750 दिनांक 16.11.2011 को राशि 2750 दिनांक 19.03.2012 को राशि 2750 जमा कराये गये हैं, यह कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2013 की भेंट राशि 2750 रूपये में 5 प्रतिशत बढाकर कुल 2900 रूपये राउण्ड फीगर में डी.डी. क्रमांक 007768 दिनांक 22.07.2013 बनाकर के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रतिवादी को प्रेषित किया गया था, किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की नियत से उक्त डी.डी. को वापस लौटाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजीनामें का उल्लघंन किया जाकर प्रार्थी को बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
बहस अप्रार्थी सूनी गई अप्रार्थी द्वारा अपने तथ्यों में बताया कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 के बाद कोई राशि जमा नंही कराई गई है, साथ ही यह कथन किया कि देवस्थान विभाग से मंदिरों के मसलों का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नंही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।
उभय पक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थना–पत्र पर चाहे गये अनुतोष के कानूनी पक्ष पर भी गौर किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल

Nathadwards v/s L.Rs. of Raghavji & ors RRD 2012 Pg.No 708** में दिये गये निर्णय अनुसार **"on the perusal of Rajasthan Tenancy Act, there is no provision which empowers the revenue courts to grant the relief of right to cultivate or right to manage the land as prayed. Both the reliefs appear to be of civil nature and it can only be claimed before the civil court and only the civil courts are competent to grant the requested relief to the craving appellant".

उक्त न्यायिक दृष्टांतानुसार मंदिरों की खुदकाश्त आराजी परकाश्त करने संबधी विवादों में राजस्व न्यायालय द्वारा अनुतोष नंही दिया जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी द्वारा स्वयं व अप्रार्थी के मध्य पूर्व में हुये समझौते (राजीनामा) के उल्लघंन का कथन करते हुए अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त राजीनामे का अवलोकन किया गया ,प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य एक लिखित, निर्धारित समय पर देय धनराशि पर विभिन्न शर्तों सहित राजीनामा हुआ। दोनों पक्षों के मध्य **contract** (संविदा) माना जा सकता है। जिसकी पालना दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में की जाती रही है। अब दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर उक्त संविदा (राजीनामा) के उल्लघंन का आक्षेप लगाया जा रहा है।

चूंकि संविदा उल्लंघन (**Breach of contract**) के मसले राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नंही आते हैं, अतः श्रवणाधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा